भाग 3
(Fundamental Rights)

अधिकार

- वह 'परिस्थिति'–जिससे हम स्वंय का विकास करते है।
- मनुष्य की क्षमताओं को निखारने का कार्य अर्थात् ''क्षमता निर्माण''
- पारिस्थितिक/हक – कोई निश्चित कार्य करने की या न करने की स्वंतत्रता

प्रश्न–मौलिक अधिकारों एवं मानव अधिकारों में क्या संबंध है।
प्रश्न–संवैधानिक व मौलिक अधिकारों में क्या संबंध

1. प्राकृतिक अधिकार

- ऐसे अधिकार जो जन्म से ही प्राप्त हो जाते है। उदा. विभेदता के विरूद्ध अधिकार।
- प्राण एवं दैयहिक स्वतंत्रता

2. मानव अधिकार

- ऐसे अधिकार जो मानव होने के नाते प्राप्त होते है।

as a women

मानवीय गरिमा Well Being (अच्छा बनाते है)

उदा. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
निष्पक्ष कार्यवाही का अधिकार

नोट–प्राकृतिक अधिकारों का नाम परिवर्तित करके मानव अधिकार का दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि प्राकृतिक व मानव अधिकार समान है।

3. विधिक अधिकार

- संसद द्वारा बनाये गये अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान अधिकार है।

उदा. IPR-Patent Right
Right to Strike

4. संवैधानिक अधिकार

- ऐसे अधिकार जो संविधान में वर्णित है।

उदा. मौलिक अधिकार + अन्य अधिकार जो संविधान में वर्णित है, संवैधानिक अधिकार कहलाते है।

5. राजनैतिक अधिकार

- राजनैतिक अधिकार का निर्माण सरकार की संरचना से होता है।
- सार्वजनिक शक्ति संस्था से होता है।

उदा. वोट देने का अधिकार।

6. नागरिक अधिकार

- नागरिक अधिकार वास्तविक नागरिकता से संबंधित होता है। एवं राज्य की गतिविधियों में भागीदारी करता है।

उदा. अनु 325 – वोटरलिस्ट में सम्मिलित होने का अधिकार
अनु 326 – चुनाव लड़ने का अधिकार

मौलिक अधिकार (Fundamental Right)

- अति आवश्यक है।
- संविधान द्वारा (भाग 3 व अनु 12–35)

मूलभूत क्यों है ?

इनका उल्लघंन पर = न्यायालय (SC{Art.32} & HC {Art.326})- न्यायालय द्वारा लागू कराया जाता है।

- संविधान इसकी गारंटी देता है।
- संविधानवाद का उपकरण – सीमित सरकार
- FR का निर्माण सरकार द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि सरकार का निर्माण FR सरंक्षण हेतु किया गया है।

Fundamental Right
- **State** संवैधानिक उपचार **SC- Art. 32 & HC-Art.326** जा सकते है।
- **Individual**→ Untouchable →Legal Ramies
  अस्पृश्यता→ विधिक उपचार→ अधीनिस्थ न्यायालय जा सकते है।

- मौलिक अधिकार व मानव अधिकार में सम्बन्ध

मौलिक अधिकार	मानव अधिकार
➢ संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त है।	➢ मानव होने के नाते प्राप्त है।
➢ उल्लंघन होने पर न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है।	➢ न्यायालय में चुनौती देने यौग्य नहीं है और न ही वाद यौग्य।

सम्बन्ध :–

सभी मानव अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं है।
सभी **मौलिक अधिकार**, **मानव अधिकार** है।

All HR ≠ FR
All FR = HR

मौलिक अधिकार → **अतिआवश्यक है।**
मानव अधिकार → **उतने आवश्यक नहीं है।**

All CR ≠ FR
All FR ≠ CR
→ **संवैधानिक अधिकार**

भाग 3 (अनु. 12–35)

मौलिक अधिकार (FR)	**Supporting Article** {Art. 12, 13, 35}	कम करने के अनु. (अनु. 33, 34)

- E-Right to Equality (Art.14-18)
  समता का अधिकार
- F-Right to Freedom (Art.19-22)
  स्वतंत्रता का अधिकार
- E-Right to Against Exploitation (Art.23-24)
  शोषण के विरूद्ध अधिकार

- R-Freedom of Reglion Rights (Art.25-28)
  धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
- E-Cultural and Educational (Art.29-30)
  शिक्षा व संस्कृति का अधिकार
- R-Ramidies
  संवैधानिक उपचार (अनु–32)

राज्य की परिभाषा

मौलिक अधिकार–किसके विरूद्ध दिये गये है।

1. केन्द सरकार एवं संसद
2. राज्य सरकार एवं राज्य विधायिका
3. स्थानीय प्रशासन
4. अन्य प्रशासन (Other Authority)

↓

जब सरकार अपनी जिम्मेदारीयों को अन्य संस्थान को प्रदान करता है। अर्थात् सरकार के लिये और → NCERT, CBSE, MPBSE

R.D. Shetty Case 1980 : 6 Conditions

1. ऐसी संस्थान जिसमें राज्यों का पूर्ण नियंत्रण हो।
2. ऐसे संस्थान जो राज्यों द्वारा तथ्यात्मक रूप से वित्त पोषित हो।
3. ऐसे संस्थान जिसमें राज्यों का व्यापक अथवा गहरा अधिकार होता है।
4. ऐसे संस्थान जो कि राज्य की तरह सार्वजनिक कर्त्तव्यों का निर्वहन करते है।
5. ऐसे संस्थान जो एकाधिकार अवस्था में हो।
6. सरकार द्वारा कार्य स्थानान्तरित किया गया हो।

इस कारण सर्वोच्च न्यायालय किसी सत्ता को राज्य की परिभाषा के अन्तर्गत रखा जाये या न रखा जाये, इसके लिये Test of Instrumental करती है।

अनुच्छेद 13 : मूल अधिकारों से असंगत या इनका अल्पीकरण करने वाली विधियां

Art. 13(1)	Art. 13(2)	Art. 13(3)
Pre-Constitutional Laws 26 जनवरी 1950 के पूर्व के कानून ↓ ऐसे कानून का प्रभाव शून्य अनाच्छादन का सिद्धांत Dochine of Eclips	Post-Constitutional Laws Nullfy Nullomg Void प्रथ्यककरण	विधियों की परिभाषा

Severability
ऐसे कानूनों को समाप्त कर दिया जायेगा जो कि असंगत है।

प्रथ्यककरण का सिद्धांत

1. Doctrin of Severability

4. Doctrin of Prospective Over Raling
भावी अधिनिर्णय का सिद्धांत

2. Doctrin of Eclips
अनाच्छादन का सिद्धांत

3. Doctrin of Waiver
छूट का सिद्धांत

Doctrin of Eclips : FR 26 जनवरी 1950 के कानून जो FR को कम करता है, को ढक लेता है FR ↑↑ शक्तिशाली हो जाते है।

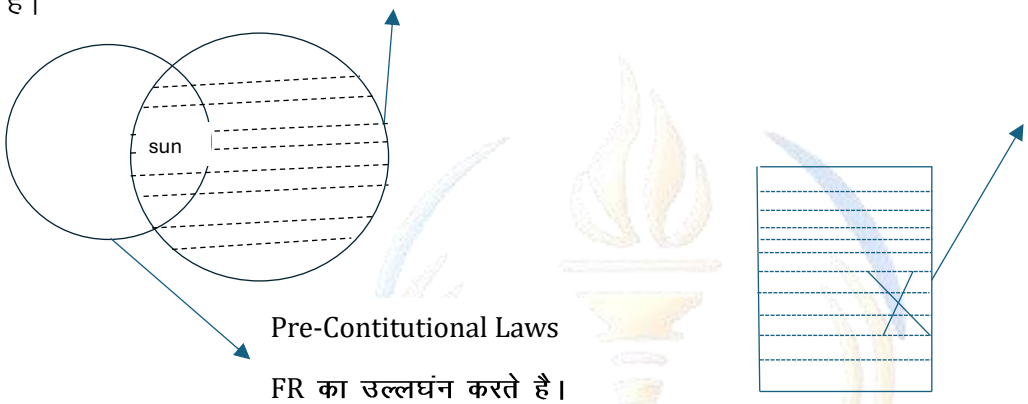

प्रथ्यकरण का सिद्धांत :

ऐसे कोई भी अधिनियम जा 26 जनवरा 1950 क बादन बनाये गये है जो कि मूल अधिकारों के असंगत हैं। यदि किसी अधिनियम में कोई भी मूल अधिकरों का उल्लघंन करता है। ऐसे अधिनियम को यह सिद्धांत अंसवैधानिक घोषित कर देता है। एवं ऐसे अधिनियम पूर्णतः समाप्त नहीं होते है केवल मूल अधिकारों के असंगत बनाने वाले प्रावधान मात्र को गैर–कानूनी घोषित किया जाता है न कि सम्पूर्ण अधिनियम को।

उदा. A.K. Gopalan V/s State of Madarash 1950

Puttaswami Case (Aadhar Case)

इस सिद्धांत का प्रयोग करके निजता का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया है।

आनाच्छादन का सिद्धांत :

26 जनवरी 1950 के पहले के कानूनों को अवैद्य घोषित किया जाता है जो मूल अधिकारियों के असंगत है। इस प्रकार के कानूनों को पूर्णतः समाप्त नहीं किया बल्कि निष्क्रिय किया जाता है। जो संगत होने पर यह फिर से वैद्य हो जाता है।

उदा. Bheekagi v/s State of MP 1955

(ORS case of MP)

छूट का अधिकार (Doctrin of Waiver)

प्यक्ति नागरिक स्वेच्छा से FR का त्याग करना चाहता है SC=
- FR ; X नहीं कर सकते
- विधिक अधिकारों का त्याग कर सकते है।

Doctrin of Prospective over Roling
SC - पिछले निर्णय को बदल सकती है।
बदले कानूनों का प्रभाव भविष्य के लिये निकलेगा। = Propsective

Prospective	Retro Spec time
भावी जमाने	पुराने जमाने वाले

अनु. 13(3)

1. अधिनियम	2. अध्यादेश	3. नियम	4. विनिमय/नियामक कानून
5. By Laws	6. आदेश	7. नोटीफिकेशन	8. रीति–रिवाज

समता का अधिकार (Right to Equality)

अनु. 14 विधि के समक्ष समता :
राज्य भारत के राज्य क्षेत्र के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।
राज्य – अनु. 12
शक्ति – नागरिक, विदेशी, विधिक नागरिक (Govt Companies/ Govt funded Companies)
पंजीकृत कम्पनियां

EBL (Equality of Before Law) :
विधि के समक्ष समता
UK से

EPL (Equal Protection of Law)
USA से

1. कोई भी व्यक्ति केवल कानून का उल्लघंन के अलावा शरीर/सम्पत्ति से बंचित नहीं किया जा सकता है।
2. किसी भी व्यक्ति पर कानून चलाया जा सकता है। और कोई व्यक्ति मामले दायर कर सकता है।
3. संविधान (साधारण निधि) का परिणाम है।
   → सर्वोच्च कानून – Indian Version

Before Rule of Laws :

Rex Lex	Lex Rex
1) Rule of law	Rule of law
2) King is law	Law is king
3) Create of law is Supreme	Law is Supreme

विधि के समक्ष समानता के अन्तर्गत निम्न तथ्य सम्मिलित है।
1. किसी भी व्यक्ति के लिये विशेष प्रावधान की अनुमति।
2. विधि के समक्ष सभी व्यक्ति एक समान होंगें।
3. कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है।

उपरोक्त बिन्दु ब्रिटिश प्रकार के विधि के समय समानता की बात करते है। परन्तु भारतीय प्रकार के विधि के समक्ष समानता निरपेक्ष नहीं है। अर्थात् इसके कुछ **अपवाद** है। जो निम्नलिखित है।

1. **अनु 361**– इसके अनुसार राष्ट्रपति व गवर्नर को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है।
   a) यह अपने किसी भी कार्य के लिये पद में रहते जिम्मेदार नहीं ठहराये जा सकते है।
   b) कोई भी क्रिमिनल केस इनके विरूद्ध दायर नहीं किया जा सकता है। जब तक कि वह अपने पद में बने रहते है।

उदा. ND Tiwari, AP (Govrner) राजभवन में (Prostitution)

c) जब तक वह अपने पद में है। उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
d) इनके विरूद्ध किसी भी नागरिक मामलें की कार्यवाही को दायिर करने के लिये 2 महीने की प्रारंभिक नोटिस देना पड़ता है।

2. सांसद व विधायक अनु.105 एवं 194 के अन्तर्गत कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है।
3. Diplomats (कूटनीतिज्ञ अथवा राजदूत) : अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है।

Diplomats (कूटनीतिज्ञ {राजदूत}) अंतर्राष्ट्रीय कानून

विमेना कन्वेंशन

अनु. 9

कार्योलयों

ऐवेंसी → पूर्व विशेषाधिकार

कन्सूलेट्स → पासपोर्ट → पूर्व विशेषाधिकार नहीं

Art. 22
Diplomat → India
Saudi Arabia
Nepali Naids
Sexual Harassment (नौकरानी)
"PERSONA NON GRATIA
समय प्रदान किया जाना

एक्वेडोर अम्वेसी → Diplomat → दोस्त
UK- Julian Assage

EPL : विधियों के समान संरक्षण

इसे अमेरिकी संविधान से लिया गया है। यह, विधि के समय समानता का ही निष्कर्श है। इसका अर्थ है–समरूप पारिस्थितियों में सभी व्यक्तियों से दोनों प्रदत्त विशेषाधिकारों और आरोपित उत्तराधायित्वों में एक जैसे व्यवहार किया जायेंगें।

➢ इसका उद्देश्य समानता+ तथ्यात्मक न्याय सुनिश्चित करना है। इसका अर्थ समान के साथ समान व्यवहार एवं असमान के साथ असमान व्यवहार किया जाना है।

न्याय X

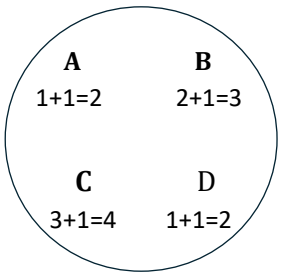

विधि के समक्ष समता EBL

समानात ✓
न्याय ✓
तथ्यात्मक न्याय

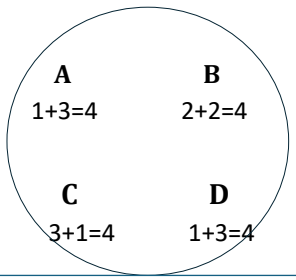

EPL : जिसको जितनी जरूरत है उतने संसाधन देना

विधि के समान संरक्षण EPL

- विधियों का समान सरंक्षण राज्य द्वारा सकरात्मक प्रक्रिया है। क्योंकि यह असमानों के समान अवसर प्रदान करता है।
- विधियों के समान सरंक्षण का मुख्य उद्देश्य तथ्यात्मक समानता एवं न्याय वर्गीकृत करना है। अर्थात् तथ्यात्मक न्याय स्थापित करने का लक्ष्य है।

अनु.15–राज्य किसी भी नागरिक के विरूद्ध जन्म स्थान, धर्म, जाति के आधार पर विभेद नहीं करेगा।
अनु.15 A–यह केवल राज्य के विरूद्ध प्राप्त है। (अनु. 15 के अनुसार)
अनु.15 B–कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, मूल, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर निम्न के लिये विभेदित नहीं किया जायेगा।
a) किसी भी सार्वजनिक स्थान में प्रवेस से वर्जित नहीं किया जायेगा जैसे रेस्टॉरेन्ट, पार्क आदि।
b) विभिन्नि स्थान जैसे तालाब, कुआं, इत्यादि जो राज्य द्वारा पोषित है तथा सार्वजनिक उपयोग के लिये खुला हो।

अनु.15C–राज्य चाहे तो महिलाओं एवं बच्चों के लिये विशेष प्रावधान कर सकता है।
अनु.15 D–यह अनुच्छेद पहले संविधान संसोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। इस अनुच्छेद का सृजनच म्पकम दोहर्द्राजन केस 1951 के निर्णय की प्रतिक्रिया फलस्वरूप हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामलें में यह निर्णय दिया कि म्रदास सरकार द्वारा जातिगत आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। यदि राज्य चाहे तो सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर अनुसूचित जाति व जनजाति (**SC/ST**) को आरक्षण प्रदान कर सकता है।

अनु. 15E–यह अनुच्छेद 93वां संविधान संशोधन 2005/06 के द्वारा जोड़ा गया। इस अनुच्छेद का सम्बन्ध मुख्यतः शैक्षणि संस्थानों से है। इसके अन्तर्गत राज्य यदि चाहे तो सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर अनुसूचित जाति या जनजाति के लिये शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान कर सकता है।
नोट– 1. यह आरक्षण निजी संस्थानों में भी दिया जा सकता है।
2. अल्पसंख्यक संस्थान इस अनुच्छेद के प्रावधान से मुक्त है। क्योंकि अल्पसंख्यकों के हितों से सम्बधिंत है।

अनु.15F– इस अनुच्छेद को 103वां संविधान संशोधन 2019 से जोड़ा गया। इसके अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये आरक्षण का प्रावधान है – **EWS**
यह आरक्षण निजी संस्थानों में भी लागू हो सकता है।
अनु.30 के अन्तर्गत अल्पसंख्यक संस्थान ऐसे आरक्षण से मुक्त है।
इस आरक्षण की सीमा 10 प्रतिशत सीटों में होगी। जो अन्रू लिखित आरक्षित वर्गों से ऊपर होगी।
नोट–अनु.15 व 16 के लिये **EWS** को परिभाषित करने की जिम्मेदारी सरकार की होगी।

अनु.16– इसके अन्तर्गत राज्य किसी भी नागरिक के विरूद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी आधार पर राज्य के अधीन किसी रोजगार या पद के लिये अपात्र नहीं माना जायेगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जायेगा।

धर्म
जाति
लिंग
जन्म स्थान
} सार्वजनिक पद

निवास → अस्थाई

अधिवास **(Domicel)**
Resident + Permanent
1. Origine
2. Chaice

Animal Mandi
↓
Permanent Settlement